इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक 40/प्र0अ0(त0स0)/जोन–2/प्रस्ता0/2014–15 दिनांक: 11/11/2014

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिए कि इस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मौलिकपत्र या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री सुशील कुमार यादव पुत्र स्व0 भोला नाथ यादव द्वारा भवन सं0–51/35 एस0सी0 बासु रोड इलाहाबाद के जोन संख्या (2) के अन्तर्गत व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र के निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र की स्वीकृति/निर्गमन निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही अध्यासन/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या 2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 5 वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षों को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा। जिसमें बेसमेन्ट में स्टोर, स्टिल्ट पार्किंग, प्रथम एवं द्वितीय तल पर कन्डिशनल शॉप एवं तृतीय तल पर आवासीय निर्माण अनुमन्य किया जा रहा है
6. अवस्थापना सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के क्रम में कोई देयता/प्रतिबन्ध आरोपित किये जाते है तो उसका अनुपालन/भुगतान किया जाना बाध्यकारी होगा।
7. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू–स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
8. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. यह स्वीकृति पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
11. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके बगल के कारण ढक गई हो) को क्षति पहुँचे तो पुनर्मरम्मत तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा हो तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
12. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण को जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
13. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है
14. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी

प्राप्त किया
सुशील कुमार यादव

11/11/2014
(पुष्कर श्रीवास्तव)
प्रभारी अधिकारी (त0स0–2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

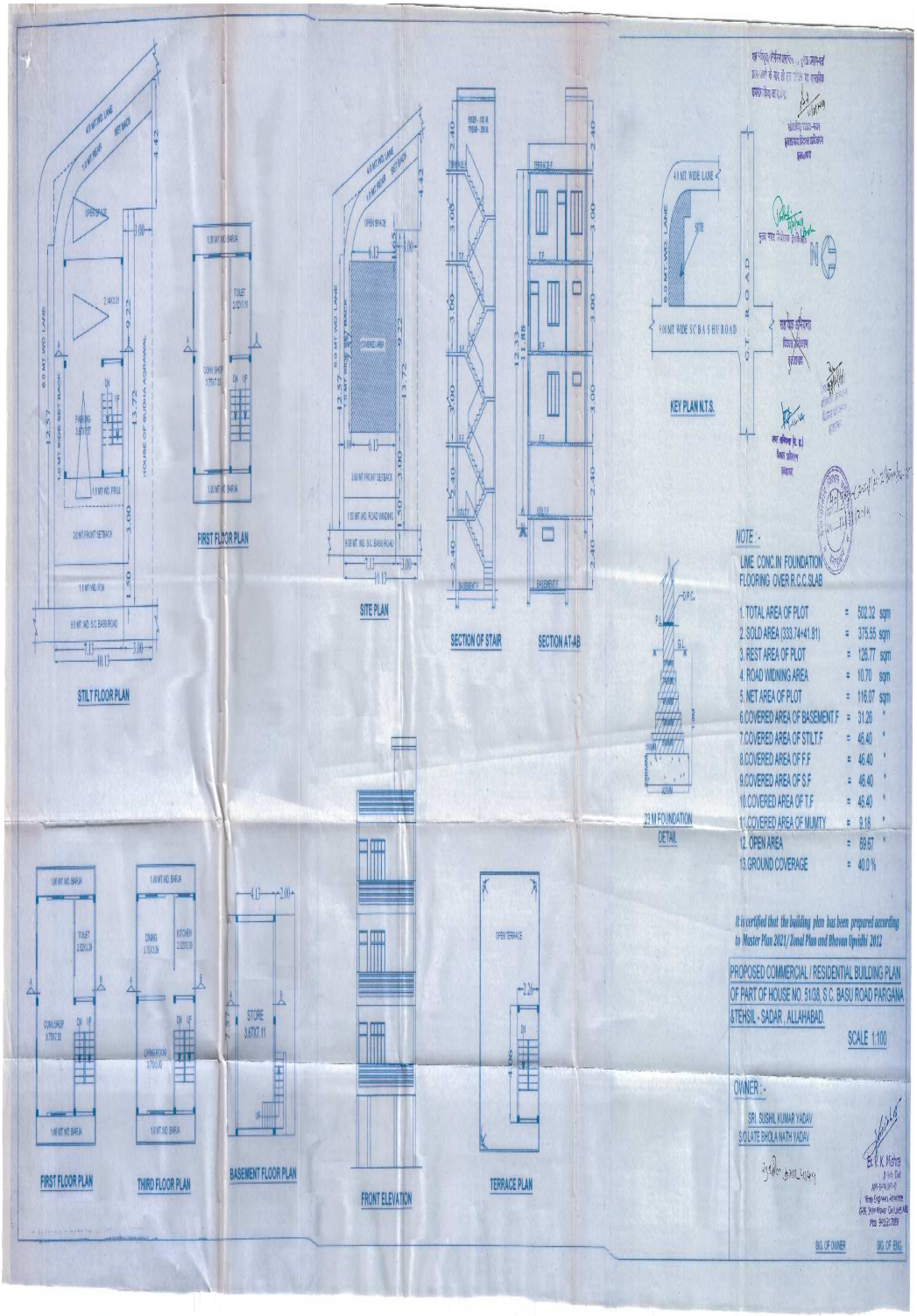
STILT FLOOR PLAN
FIRST FLOOR PLAN
SITE PLAN
SECTION OF STAIR
SECTION A-T-AB
KEY PLAN N.T.S.
NOTE :-
LIME CONC. IN FOUNDATION
FLOORING OVER R.C.C. SLAB
1. TOTAL AREA OF PLOT = 502.32 sqm
2. SOLD AREA (333.74+41.81) = 375.55 sqm
3. REST AREA OF PLOT = 126.77 sqm
4. ROAD WIDNING AREA = 10.70 sqm
5. NET AREA OF PLOT = 116.07 sqm
6. COVERED AREA OF BASEMENT F = 31.25 "
7. COVERED AREA OF STILT F = 46.40 "
8. COVERED AREA OF F.F. = 46.40 "
9. COVERED AREA OF S.F. = 46.40 "
10. COVERED AREA OF T.F. = 46.40 "
11. COVERED AREA OF MUMTY = 9.18 "
12. OPEN AREA = 69.67 "
13. GROUND COVERAGE = 40.0 %
23 M FOUNDATION DETAIL
It is certified that the building plan has been prepared according to Master Plan 2021/ Zonal Plan and Bhuvan Upnishi 2012
PROPOSED COMMERCIAL / RESIDENTIAL BUILDING PLAN OF PART OF HOUSE NO. 5108, S.C. BASU ROAD PARGANA & TEHSIL - SADAR , ALLAHABAD.
SCALE 1:100
OWNER :-
SH. SUSHIL KUMAR YADAV
S/O LATE BHOLA NATH YADAV
SIG. OF OWNER
SIG. OF ENG.
FIRST FLOOR PLAN
THIRD FLOOR PLAN
BASEMENT FLOOR PLAN
FRONT ELEVATION
TERRACE PLAN